महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— सामान्य/15/80–81/ 31174–274 दिनांकः— 19/8/09

1— समस्त अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान
2— उपाधीक्षक,
महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर एवं जोधपुर।

विषयः— बंदियों की निजी सम्पति जेलों में पड़ी हुई है,के निस्तारण के संबंध में।

प्रसंगः— इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमाक सामान्य/15/80–81/11326–426 दिनांक 30.4.98, क्रमांक 17649–771 दिनांक 8.8.80 एवं 7750–832 दिनांक 12.3.90

—000—

आपको संदर्भित मामलें में कारागृहों एवं उप कारागृहों से रिहा हुए बंदियों की निजी सम्पति के निस्तारण के संबंध में इस कार्यालय के प्रासंगिक परिपत्रों द्वारा समय–समय पर निर्देश प्रदान किये गये है।

प्रासंगिक परिपत्रों की एक–एक प्रति पुनः इस परिपत्र के साथ सलंग्न कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि कारागृहों से रिहा हुए बंदियों की निजी सम्पति का निस्तारण इस कार्यालय परिपत्र दिनांक 8.8.80 के अनुसार तीन माह में करावे तथा भविष्य में बंदियों की निजी सम्पति उनके कारागृह से रिहा होते समय आवश्यक रूप से लौटाये जाने का ध्यान रखा जावे।

सलंग्नः— उपरोक्तानुसार

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः— प्रभारी, लेखा शाखा, महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर को उनके यू0ओ0नो0 क्रमांक प.10/कारा/लेखा/नि.ले./ड्राफ्ट पैरा/05–06/28411 दिनांक 17.6.08 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक:- सामान्य/15/80-81/ 17649-771 दिनांक:- 8.8.80

5

परिपत्र

समस्त प्रभाराधिकारी,
कारागृह, एवं उपकारागृह ।

विषय:- बंदियों की निजी सम्पति जो कारागृहों में पड़ी हुई हैं के निस्तारण के संबंध में ।

-000-

संदर्भित मामले में कारागृहों एवं उपकारागृहों से सूचना मांगी जाने पर विदित हुआ हैं कि कारागृहों एवं उपकारागृहों पर रिहा हुए बंदियों की निजी सम्पति काफी मात्रा में काफी समय से पड़ी हुई हैं, जिसका निष्पादन किया जाना नितांत आवश्यक हैं ।

यह तो जेल अधिकारी का कर्तव्य होता है कि कारागार उपकारागार से मुक्त होते समय बंदी की निजी सम्पति लौटावें । संभवत: इसी कारण राजस्थान, प्रिजन्स रूल्स 1951 के पाट 25 सैक्शन 6 में वर्णित नियमों में रिहा हुए बंदियों की कारागृहों पर जमा निजी सम्पति के निष्पादन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं हैं, अत: ऐसी स्थिति में कारागार विभाग के पास दो ही विकल्प रह जाते हैं ‹1›कारागृहों एवं उपकारागृहों के अभिलेख के आधार पर संबंधित रिहा हुए बंदियों को उनके निवास पर रजिस्ट्रर्ड पत्र भेजकर अपनी निजी सम्पति वापिस ले जाने के लिये कहा जावें, या ‹2›राजस्थान प्रिजन्स रूल्स 1951 के पार्ट-25 के सैक्शन-6 के नियम 180 के अनुसार रिहा हुए बंदी को मृतक मानकर उसकी निजी सम्पति का निष्पादन किया जावें ।

उक्त 2 विकल्पों में से पहले विकल्प के अनुसार कार्यवाही करना आवश्यक हैं अत: समस्त प्रभाराधिकारी कारागृहों एवं उपकारागृहों को आदेश दिये जाते हैं कि वें अपने से संबंधित कारागृहों एवं उपकारागृहों पर पड़ी रिहा हुए बंदियों की निजी सम्पति के संबंध में कारागृह अभिलेख में वर्णित उनके निवास के पतों पर रजिस्टर्ड पत्र भेजें जावें । यदि रजिस्टर्ड पत्र भेजे जाने पर भी पहले पत्र के भेजे जाने के पश्चात एक वर्ष की अवधि में कोई उत्तर बंदी की ओर से प्राप्त नहीं हो तो बंदी की निजी सम्पति को लावारिश सम्पति मानकर जिलाधीश के माध्यम से निस्तारण किये जाने की कार्यवाही करें और आप द्वारा संदर्भित मामलें में जो भी कार्यवाही की जावें । उसकी सूचना इस कार्यालय को दिये जाने का भी विशेष ध्यान रखें ।

महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक कारागार ... जयपुर

ह/-

उप-महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर.